

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत के अन्तिम भुगतान के लिये आवेदन-पत्र सेवा में, _____

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

मैं सेवा निवृत्त होने वाला हूँ/..... मास के लिये सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया हूँ/ सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे चुका हूँ और त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है/दिनांक के पूर्वाहन/अपराहन से सेवा मुक्त/पदच्युत कर दिया गया हूँ।

- मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में मेरे जमाखाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान मुझे किया जाय। मेरा भविष्य निधि लेखा संख्या है।
- वर्ष के मास के मेरे वेतन बिल में भविष्य निधि अभिदान के रूप में रुपये की धनराशि की अन्तिम बार कटौती की गयी थी।
- मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने चालू वर्ष तथा पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा से न तो कोई अस्थायी अग्रिम लिया है और न कोई अन्तिम प्रत्याहरण किया है। चालू तथा पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा में मेरे द्वारा लिये गये अन्तिम प्रत्याहरण का विवरण/अन्तिम अस्थायी अग्रिम का विवरण और साथ-साथ वसूली का विवरण नीचे दिये गये हैं।

क - अन्तिम प्रत्याहरण

क्रम संख्या	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

ख - अस्थायी अग्रिम

अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनांक	किस्तों की संख्या जिसमें धनराशि की वसूली की जानी हो	आवेदन पत्र के दिनांक तक वसूल की गई किस्तों की संख्या और धनराशि	आवेदन पत्र के दिनांक तक वसूल न की गयी किस्तों की संख्या और धनराशि	यदि वसूली नियमित न रही हो तो उसके कारण दीजिए

- मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि बीमा की किस्त (प्रीमियम) के भुगतान के लिये चालू और पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा में मेरे द्वारा कोई धनराशि प्रत्याहत नहीं की गयी थी/निम्नलिखित धनराशियाँ प्रत्याहत की गयी थी

क्रम संख्या	धनराशि	आहरण का दिनांक
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

6. भविष्य निधि से मेरे द्वारा वित्तपोषित ऐसी जीवन बीमा पालिसियों को ब्योरा जिन्हें निर्मुक्त किया जाना है, नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	पालिसी संख्या	भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा का नाम	बीमाकृत धनराशि
1.			
2.			
3.			
4.			

7. मैं वचन देता हूँ कि यदि सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक धनराशि का कोई भुगतान मुझको किया जाता है और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन अवशिष्ट धनराशि के भुगतान से न किया गया हो तो मैं ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान सरकार को कर दूंगा।

स्थान

आपका विश्वासपात्र

दिनांक

(हस्ताक्षर)
नाम और पता

भाग दो
सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि का अन्तिम भुगतान
करने के लिये आवेदन पत्र

सेवा में,
महालेखाकार, उ.स.
{आहरण एवं वितरण के माध्यम से}

महोदय

मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूँ/सेवानिवृत्त हो गया हूँ/ मास के लिए सेवानिवृत्त पूर्व छुट्टी पर चला गया हूँ/सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे चुका हूँ और मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है। दिनांक के पूर्वाहन/अपराहन से सेवा मुक्त/पदच्युत कर दिया गया हूँ।

2. मैंने अपने सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या में अपने जमाखाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का, नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिये एक आवेदन पत्र (उपर्युक्त भाग एक द्वारा) प्रस्तुत कर दिया है। मैं एतद्वारा अनुरोध करता हूँ कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से कर दिया जाए।

*3. राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मेरे नमूना हस्ताक्षर, दो प्रतियों में संलग्न हैं।

स्थान

भवदीय,

दिनांक

(हस्ताक्षर)
नाम और पता

* पैरा 3 केवल तब लागू होता है जब कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से भुगतान की इच्छा की जाय।

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का अन्तिम भुगतान करने के लिये आवेदन पत्र (नामांकितियों द्वारा या कोई नामांकन न हो, तो अन्य दावेदार द्वारा आवेदन किया जायेगा)

सेवा में, _____

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती के सामान्य भविष्य निधि लेखा में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने का प्रबन्ध किया जाय।

- (1) सरकारी सेवक का नाम
- (2) सरकारी सेवक द्वारा ग्रहित पद
- (3) मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कीजिए)
- (4) भविष्य निधि लेखा संख्या

5. नियम 2 में यथा परिभाषित अभिदाता के परिवार के सदस्यों का विवरण

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को आयु	अभिदाता की पुत्री या अभिदाता के मृत पुत्र की पुत्री के मामले में यह उल्लिखित करें कि वह अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को अविवाहित थी या विवाहित थी या विधवा थी
1	2	3	4	5
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				
(6)				

6. अभिदाता की मृत्यु के दिनांक का जीवित नामांकितियों का विवरण, यदि नामांकन हो :

क्रम संख्या	नामांकित का नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	नामांकित का अंश	दावा के कारण (यदि नामांकित अभिदाता के परिवार का सदस्य न हो)
1	2	3	4	5
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				

7. किसी अवयस्क को जिसकी माँ (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो, देय धनराशि के मामले में, दावे का समर्थन, यथा स्थिति क्षतिपूर्ति बंध-पत्र या संरक्षण प्रमाण-पत्र द्वारा किया जाना चाहिये।

8. यदि अभिदाता का कोई परिवार न हो ओर कोई नामांकन न हो तो ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनको भविष्य निधि की धनराशि देय हो (जिसे प्रोवेट पत्र का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र आदि द्वारा समर्थित किया जायेगा)

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	पता
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			

9. दावेदार/दावेदारों का धर्म

10. भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से वांछित है। इस सम्बन्ध में सेवारत राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :-

- (एक) अभिज्ञान वैयक्तिक चिन्ह,
- (दो) बायां/दायां हाथ का अंगूठा और अंगुली निशानी (अशिक्षित दावेदारों के मामले में)
- (तीन) नमूने के हस्ताक्षर, दो प्रतियों में (शिक्षित दावेदारों में मामले में)

11. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि सामान्य भविष्य निधि पास बुक में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक किसी धनराशि का भुगतान मुझको/हम लोगों का किया गया हो और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन अवशिष्ट धनराशि के भुगतान से या उपादान से नहीं किया गया है तो मैं/हम लोग सरकार को ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान करूंगा/करेंगे।

भवदीय

दावेदार/दावेदारों का/के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता

भाग चार
मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि के अन्तिम भुगतान के लिये आवेदन-पत्र
(नामांकितियों द्वारा या जहाँ कोई नामांकन न हो, वहाँ अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)

सेवा में,
महालेखाकार,
(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैंने/हम लोगों ने श्री/श्रीमती के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या में अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिये एक आवेदन-पत्र (उपर्युक्त भाग तीन द्वारा) प्रस्तुत कर दिया है। यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे/हम लोगों को आहरण एवं वितरण अधिकारी कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से किया जायेगा।

भवदीय

स्थान
दिनांक

दावेदार/दावेदारों का/के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता

(आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपयोग के लिये)

1. श्री/श्रीमती का भविष्य निधि लेखा संख्या है।
2. वह सेवानिवृत्त हो गया/हो गयी है/सेवानिवृत्त होगा/होगी मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/चली गयी है/उसने सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया है उसका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है उसे दिनांक के पूर्वाह्न/अपराह्न से सेवामुक्त कर दिया गया है।
3. रुपये की अन्तिम निधि कटौती और अग्रिम की वापसी के लिये रुपये की वसूली उसके वेतन से कोषागार के वाउचर संख्या दिनांक से किया गया था और उसे उपर्युक्त वाउचर के साथ संलग्न रुपये की सामान्य भविष्य निधि अनुसूची में सम्मिलित किया गया।
4. प्रमाणित किया जाता है कि उसे चालू तथा पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में न तो कोई अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किया गया और न उसके भविष्य निधि अनुसूची में सम्मिलित किया गया था।

या

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अन्तिम प्रत्याहरण या अन्तिम अस्थायी अग्रिम उनको स्वीकृत किये गये थे और चालू तथा पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान उसके भविष्य निधि लेखा से प्रत्याहृत किये गये थे।

क-अन्तिम प्रत्याहरण

क्रम सं.	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक
(1)					
(2)					
(3)					
(4)					

ख-अस्थायी अग्रिम

क्रम सं.	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक	मास और वर्ष जिसमें वसूली पूरी हुई
----------	----------------------	----------------	--------------	----------------	-------------	-----------------------------------

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

5. प्रमाणित किया जाता है कि बीमा की किस्त के भुगतान के लिए चालू और पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के दौरान उसके भविष्य निधि लेखा में कोई धनराशि प्रत्याहित नहीं की गई/निम्नलिखित धनराशि प्रत्याहित की गयी।

क्रम सं.	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक
----------	----------------------	----------------	--------------	----------------	-------------

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

6. दिनांक (वह दिनांक जब धनराशि देय हो गई) को उसके सामान्य भविष्य निधि पासबुक में यथा अतिशेष जिसके अन्तर्गत उस दिनांक तक देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) भी है, संलग्न परिकलन शीट के अनुसार रु. (अंकों में) रु. (शब्दों में) है और उपर्युक्त अतिशेष का 90 प्रतिशत रूपया होता है।

7. प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि सम्बन्धित कोई वसूली उससे नहीं की जानी है। अतएव रु. (अंकों में) रु. (शब्दों में) जो अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष का 90 प्रतिशत है, का भुगतान (अभिदाता को या यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो दावेदार/दावेदारों का नाम) को करने की संस्तुति की जाती है।

या

सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित निम्नलिखित वसूलियाँ अभिदाता से की जानी है।

क्रम सं.	वसूलियों का विवरण	धनराशि (रूपये)
----------	-------------------	----------------

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

ऊपर वर्णित वसूलियों के मद्दे रुपये की धनराशि की कटौती करने के पश्चात अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष के केवल 90 प्रतिशत में से (अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों का, नाम) की रु. (अंकों में) रु. (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।

8. अभिदाता की मृत्यु दिनांक को हुई। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।
(यदि अभिदाता की मृत्यु हो गई हो केवल तभी यह सूचना प्रस्तुत की जायेगी।)

9. परिकलन शीट (दो प्रतियों में) और शेष धनराशि के भुगतान के आवेदन पत्र सहित को अग्रसरित।

दिनांक

आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

जांचकर्ता लेखा प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिये

1. प्रमाणित किया गया कि मैंने संलग्न परिकलन शीट और उपर्युक्त गणनाओं की जांच करली है जो सही है।
2. रू. (अंकों में) रू. (शब्दों में)
..... के भुगतान की संस्तुति की जाती है।
3. (स्वीकृति अधिकारी) को अग्रसारित

दिनांक

जांचकर्ता लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1. (अभिदाता को
या यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों का नाम) को रू. (अंकों में)
रू. (शब्दों में)
..... का भुगतान स्वीकृत किया गया।
2. शेष धनराशि के भुगतान का आवेदन पत्र तथा परिकलन शीट और भविष्य निधि पासबुक महालेखाकार,
को अग्रसारित किया गया। सामान्य भविष्य निधि पासबुक भुगतान प्रधिकृत करने के पश्चात
आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापस किया गया।

दिनांक

स्वीकृति अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर